उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग—1 संख्या—..06.../ix—1/2013/323/2006 देहरादून, दिनांक विसम्बर्ध 2013 ०3 जनवरा 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 यथा उत्तराखण्ड में लागू की धारा 21 के साथ प्रिटेत उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या—12 वर्ष 2003) की धारा 28 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम 1—(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार (पंचम संशोधन) और नियमावली, 2013 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। नियम 22 2— उक्त नियमावली के नियम 22 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विधमान का संशोधन उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्म–1 विद्यमान नियम

22 (4) कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक समय के लिये स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी दो सौ रूपये या पांच सौ रूपये, जैसी भी स्थिति हो, शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी की संस्तृति पर सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय अधिकारी परिवहन द्वारा तीन कैलेण्डर मास से अधिक अवधि के लिये स्वाकृति दी जा सकती है। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढाये बिना एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर मास

स्तम्भ–2 एतदृद्वारा प्रतिस्थापित नियम

22 (4) कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कैलेण्डर वर्ष में एक समय में तीन कैलेण्डर माह से अधिक समय के लिये स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी एक सौ रूपये शुल्क के साथ आवेदन करे तो अधिकारी द्वारा पुनः तीन कैलेण्डर मास की अवधि के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में यान एक कैलेण्डर माह में छः माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढाये बिना एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर मास से अधिक समय के लिये

से अधिक समय के लिये अभ्यर्पित

अभ्यर्पित रहता है तो इसे प्रतिसंहत

रहता है तो इसे प्रतिसंहत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

नियम 24 का संशोधन 3— उक्त नियमावली के नियम 24 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विधमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

24(2) उप नियम (1) में वर्णित स्थिति के रहते हुये भी जहाँ उत्तराखण्ड में अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परिमटों पर आच्छादित यदि किसी वाहन का चालान परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कर जमा न करने के अपराध में किया जाता है तो उस दशा में देय कर की धनराशि के बराबर शास्ति भी देय होगी।

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

24(2) उप नियम (1) में वर्णित स्थिति के रहते हुये भी जहाँ उत्तराखण्ड में अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत वाहनों अथवा जारी किये गये परिमटों पर आच्छादित यदि किसी वाहन का चालान परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कर जमा न करने के अपराध में किया जाता है तो उस दशा में देय कर की धनराशि के 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति भी देय होगी।

. भाधा स

(डॉ० उमाकान्त पंवार) सचिव। In pursuance of the Provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.06 ix-1/2014/323/2006----dated---
O3

December, 2013 for general information.

Notification

In the exercise of powers under section 28 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003 (Uttrakhand Act no. 12 of 2003) read with section 21 of The Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 as applicable in state of Uttarakhand, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Rules, 2003.

The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Fifth Amendment) Rules, 2013.

Short title and commencement

- 1- (1) These rules may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Fifth Amendment) Rules, 2013.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of rule 22

2- In the said rules, in rule 22 for existing sub rule (4) as set out in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule

22(4) The Taxation Officer shall not accept the intimation of non use of any vehicle for more than three calendar months, within a calendar year, however, the period, beyond three calendar months may be accepted by the Regional Transport Officer of the region concerned on the recommendation of the taxation officer, if the owner makes an application along with a fee of rupees one hundred to the Taxation Officer. If any such vehicle remains surrendered for more than three calendar months during a year without the extension of acceptance of surrender it shall be deemed to be revoked and the owner shall be liable to pay tax as the case may be.

Column-2

Rule as hereby substituted 22(4) The Taxation Officer shall not accept the intimation of non use of any vehicle for more than three calendar months at a time within a calendar year, however, the period, beyond three calendar months may be accepted/ extended by him if the owner makes an application along with a fee of rupees one hundred. In any case surrender of a vehicle shall not be accepted more than six months in any calender year by the Taxation Officer. If any such vehicle remains surrendered for more than three calendar months during a year without the extension of acceptance of surrender it shall be deemed to be revoked and the owner shall be liable to pay tax as the case may be.

Amendment of rule 24

3- In the said rules, in rule 24 for existing sub rule (2) as set out in column-1 below, the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule

24(2) Inspite of sub rule (1) if a vehicle registered or indorsed in the permits issued by the competent authority of Uttarakhand has been challaned by an officer of the Transport Department for non payment of tax in such a case the due tax shall be liable along with an equal amount of it as penalty.

Column-2 Rule as hereby substituted

24(2) Inspite of sub rule (1) if a vehicle registered or indorsed in the permits issued by the competent authority of Uttarakhand has been challaned by an officer of the Transport Department for non payment of tax in such a case the due tax shall be liable along with fifty percent amount of it as penalty.

(Dr. Umakant Panwar) Sachiv

By Order